न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 326 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 458)

बनाम

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. नंदलाल पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।	1. फतेहचन्द पुत्र विष्णु राम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।
2. मदनलाल पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।	2. रामप्यारी पत्नी फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।
3. चन्द्रभान पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।	3. निर्मला रानी पुत्री फतेहचन्द पत्नी चंचल उतरेजा जाति अरोडा निवासी जी-12, अम्बिका इनक्लेव, श्रीगंगानगर।
	4. सुमन देवी पुत्री फतेहचन्द पत्नी श्यामलाल जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।
	5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 06.10.2025

उपस्थितः1. श्री सुरेश कुमार गोयल, श्री मोहित गोयल अधिवक्ता वादीगण
2.श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

—निर्णय— **दिनांकः 31.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा नम्बर 1, 7 की कुल 6.387 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 66/48 के मुरब्बा नम्बर 8, 56/31 की कुल 1.480 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3, 4 आपस में भाई-बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 उनके पिता व माता है। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कृषि भूमि उनको विरास्तन प्राप्तशुदा है, जो कि हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 3, 4 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3, 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पारिवारिक सुविधाओं के अनुसार उक्त पैतृक कृषि भूमि 6.387 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा कर, वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 3, 4 को उनका हिस्सा सुपुर्द किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3, 4 वादीगण की बहिने होने के कारण, उनके द्वारा अपनी समस्त भूमि अपने तीनों भाईयों वादीगण को बहिस्सा बराबर सुपुर्द की हुई है। घरू बंटवानामा अनुसार वादी संख्या 1 को चक 27 एफ के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 5 की 0.165 हैक्टेयर, किला नम्बर 6, 15, 16 की 0.759 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/2 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 7 की 1,2,3,4,5 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि, कुल 2.417 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी संख्या 2 को चक 27 एफ के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 3 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 8, 13, 18 की 0.759 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/2 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.151 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा वादी संख्या 3 को चक 27 एफ के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 4 की 0. 164 हैक्टेयर, किला नम्बर 7, 14, 17 की 0.759 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 6, 7, 8, 9 की 1.264 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0. 252 हैक्टेयर, कुल 2.415 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को चक 27 एफ के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.164 हैक्टेयर कुल 0.328 हैक्टेयर भूमि बंटवारानामा में प्राप्त हुई है। बंटवारानामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चक 27 एफ के खाता संख्या 66 की 1.480 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 उपयोग व उपभोग कर रही है। उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारानामा वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य अवश्य हुआ है और काफी समय से उक्त भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा काश्त है। लेकिन भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि अंकित नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है। इसलिए वादीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पडता है। वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त कर रहे है, लेकिन उक्त

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है। रकबा का बंटवारा के अनुसार विभाजन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि का अंकन करवाना चाहते है। इस कारण उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा नम्बर 1, 7 की कुल 6.387 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिवादा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 27 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा नम्बर 1, 7 की कुल 6.387 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्से मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	तहसील व राजस्व ग्राम	मु.न.	किला नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	नंदलाल पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर।(2.417हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर 27 एफ	1 7	5 6, 15, 16 25/2 1 ता 5	0.165 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 1.265 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	1.37 6.30 1.89 10.50
2	मदनलाल पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर। (1.151 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर 27 एफ	1	3 8, 13, 18 23/2	0.164 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	1.36 6.30 1.89
3	चन्द्रभान पुत्र फतेहचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर। (हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर 27 एफ	1 7	4 7, 14, 17 24/2 6 ता 9 10	0.164 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.252 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.36 6.30 1.89 8.40 2.09

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	फतेहचन्द पुत्र विष्णु राम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 2, गांव 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर। (0.328 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर 27 एफ	1	1 2	0.164 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर	नहरी नहरी	1.36 1.36

खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर की पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील वा दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)